

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

* रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र *

पंजीयन क्रमांक 14 / भरतपुर/ 1996-97

यह प्रमाणित किया जाता है कि

.....कृष्णा आदर्श विद्या मन्दिर सामिती सिपरक.....

का पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958
(राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक
...14/05/1996 को किया गया था।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर.....

श्री कृष्णा जनसेवा संस्थान नांदवई.....

कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील से
आज दिनांक...19/07/2019.....को भरतपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

रजिस्ट्रार संस्थाएं
भरतपुर
भरतपुर (संजो)